

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 07.11.2022

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### 04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना खरगपुर पुलिस ने 02, थाना धानेपुर पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

### 01. थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी राम किशोर निषाद निवासी उंचे पुरवा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जिला गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 447/22, 02. भुवाल पुत्र लच्छन नि० ग्राम देइयापुर कटराभोग चन्द थाना नवाबगंज जनपद गोण्डाके कब्जे से 30 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 448/22, 03. लाल बाबू पुत्र राजेन्द्र निषाद निवासी ग्राम मल्लाहन पुरवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 450/22, 04. महेश निषाद पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम सुभागपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 452/22, 05. प्रभू S/O राम बक्स सोनकर निवासी ग्राम वजर डिहवा रामापुर थाना नवाबगंज जिला गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 453/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### 02. थाना को०देहात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजित राम पुत्र खेतू निवासी ग्राम भदवा सोमवंशी थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 524/22 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### 02. थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामवृक्ष यादव पुत्र महादेव निवासी केशवनगर ग्रण्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 188/22 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस -नोट**  
**मीडिया सेल, गोण्डा**  
**दिनांक 07.11.2022**

**चोरी की घटनाओं का खुलासा, 05 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी गयी 02 अदद मंगलसूत्र (पीली धातु), 05 अदद विछिया सफेद धातु, 02 अदद कड़ा सफेद धातु, 05 अदद चादी के सिक्के, 01 जोड़ी झुमका(पीली धातु), 01 अदद साइकिल बरामद-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे उक्त निर्देश के क्रम में थाना परसपुर व एस0ओ0जी0 की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 07.11.2022 को थाना परसपुर पुलिस व एस0ओ0जी0 की संयुक्त टीम द्वारा सुरागरसी-पतारसी कर मुखवीर खास की सूचना पर चोरी की घटना में संलिप्त 05 आरोपी अभियुक्तों- 01. श्याम मनोहर पासी 02. राकेश सोनी 03. सुनील सोनी 04. शिवशंकर गुप्ता 05. पीर मोहम्मद को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी 02 अदद मंगलसूत्र (पीली धातु), 05 अदद विछिया सफेद धातु, 02 अदद कड़ा सफेद धातु, 05 अदद चादी के सिक्के, 01 जोड़ी झुमका(पीली धातु), 01 अदद साइकिल बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तगण ने दिनांक 25/26.08.2022 की रात्रि में ओमप्रकाश तिवारी पुत्र रामनेवल सिंह के घर, दिनांक 26/27.08.2022 की रात्रि में अवधेश सिंह पुत्र स्व0 रामबुझारत सिंह के घर, दिनांक 27/28.10.2022 की रात्रि में संजय तिवारी पुत्र स्व0 जवाहार लाल तिवारी के घर में चोरी किये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत हुआ था।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. श्याम मनोहर पासी पुत्र भनकू पासी निवासी ग्राम टीका मिश्र पुरवा बलमत्थर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. राकेश सोनी पुत्र आत्माराम सोनी निवासी ग्राम भौरीगंज थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. सुनील सोनी पुत्र स्व0 हीरालाल सोनी निवासी ग्राम भौरीगंज थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
04. शिवशंकर गुप्ता पुत्र पारसनाथ गुप्ता निवासी ग्राम भौरीगंज थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
05. पीर मोहम्मद पुत्र हुसैन अली निवासी सदर बाजार कस्बा करनैलगंजगोण्डा।

**अनावरण अभियोग:-**

01. मु0अ0सं0-211/22, धारा 457, 380 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-219/22, धारा 457, 380 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-327/22, धारा 457, 380 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

### **बरामदगी-**

01. 02 अदद मंगलसूत्र (पीली धातु),
02. 05अदद विछिया सफेद धातु,
03. 02अदद कड़ा सफेद धातु,
04. 05 अदद चादी के सिक्के,
05. 01 जोड़ी झुमका(पीली धातु),
06. 01 अदद एवन साइकिल बरामदा।

### **गिरफ्तारकर्ता टीम:-**

01. प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सरोज मय टीम थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. प्रभारी एस0ओ0जी0 संतोष कुमार सिंह मय टीम जनपद गोण्डा।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 07.11.2022**

**दहेज हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकल्ल बरामद-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने मु0अ0सं0-447/22, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्त 01. विक्रम सिद्धार्थ 02. सवारी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है उक्त अभियुक्तगण द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करते हुए हसिया से मारा पीटा घायल कर दिया था जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में मृतका के भाई द्वारा थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण:-**

01. विक्रम सिद्धार्थ पुत्र स्व0 रामनरायन निवासी अमारे भरिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. सवारी देवी पत्नी स्व0 रामनरायन निवासी अमारे भरिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-447/22, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ0नि0 राकेश कुमार मय टीम

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस - नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 07.11.2022**

**घर में घूस कर जान से मारने की नियत हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस ने मु0अ0सं0-381/22, धारा 458, 323, 307, 427, 506, 34 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. सुनील सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है उक्त अभियुक्त द्वारा घर में घूस कर जान से मारने की नियत से वादिनी को मारा पीटा था जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना तरबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**नाम व पता अभियुक्त-**

01. सुनील सिंह पुत्र वीरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी मुजेड बैजपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0-381/22, धारा 458, 323, 307, 427, 506, 34 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तारकर्ता**

उ0नि0 कामेश्वर राय मय टीम